न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

बइजलास – डॉ. नरेन्द्र कुमार थोरी, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 55/2017

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
छोटूराम पुत्र नथूराम जाति खटीक निवासी मुण्डवा तहसील मुण्डवा।		1सरकार जरिये तहसीलदार, मुण्डवा। 2हल्का पटवारी मुण्डवा।

उपस्थिति :–

1. श्री श्याम कुमार व्यास अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री कुन्दनसिंह आचीणा राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट्स की ओर से।

निर्णय दिनांक:24.06.2019

{1}–मामलें के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार, मुण्डवा द्वारा धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण संख्या 255/2017 सरकार बनाम छोटूराम में निर्णय दिनांक 24.03.17 के तहत मौजा मुण्डवा के खसरा नं. 1591 रकबा 0.03 बीघा गै.मु. खान भूमि से बेदखली व शास्ति से असंतुष्ट होकर दिनांक 01.06.17 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट की अपील दिनांक 02.06.17 को मियाद का बिंदु विचाराधीन रखते हुए दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड मंगवाया गया। अपीलांट द्वारा अपनी अपील के समर्थन में तहसीलदार मुण्डवा के प्रकरण संख्या 255/2017 सरकार बनाम छोटूराम में पारित निर्णय दिनांक 24.03.17 की फोटोप्रति, तहसीलदार मुण्डवा के फर्द अहकाम दिनांक 08.03.17 से 24.03.17 की फोटोप्रति तथा पटवारी रिपोर्ट दिनांक 06.03.17 की फोटोप्रति पेश की। रेस्पोडेन्ट्स की ओर से श्री कुन्दनसिंह आचीणा राजकीय वकील उपस्थित हुए।

{2}–उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक द्वारा मियाद के बिंदु पर बताया गया कि अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश जैर अपील एकपक्षीय रूप से बिना अपीलांट को सुनवाई व साक्ष्य सबूत का अवसर दिये पारित किया है। जिसकी जानकारी अपीलांट को वक्त निर्णय नही हो सकी। हल्का पटवारी के माध्यम से अपीलांट को दिनांक 04.05.17 को जानकारी हुई। तब अपीलांट ने दूसरे दिन ही तहसील में नकल हेतु आवेदन किया जो नकल दिनांक 16.05.17 को प्राप्त होने पर अपीलांट को प्रथम बार निर्णय जैर अपील की जानकारी हुई। इससे पूर्व अपीलांट को निर्णय जैर अपील की जानकारी नही थी। न्याय हित में अपील पेश करने में हुई देरी को माफ किया जाना उचित व न्याय संगत है। जिसका राजकीय वकील द्वारा विरोध नही किया गया है। अतः मियाद के बिन्दु पर नरम रूख अपनाते हुए अपीलांट की अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है। वकील अपीलांट ने आगे अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि

{2}(I)–अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.03.17 पूर्णतया अवैध विधिविरूद्व एवं बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये पारित किया गया होने से निरस्तनीय है।

2}(II)–अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो एवं पत्रावली का अवलोकन किये बिना आदेश जैर अपील पारित किया है। जो निरस्तनीय है।

{2}(III)–अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को बिना विधिवित नोटिस तामील करवाये एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए आदेश जैर अपील पारित किया हैं जो निरस्तनीय है।

{2}(IV)–अधीनस्थ न्यायालय ने बिना हल्का पटवारी के बयान लिये, बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये, बिना कोई साक्ष्य सबूत का अवसर दिये तामील के दिन ही आदेश जैर अपील पारित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय ने किसी प्रकार की कोई जांच किये बगैर आदेश जैर अपील पारित किया है। जो आदेश जैर अपील पूर्णतया अवैध व विधि विरूद्व होने से निरस्तनीय है।

{2}(V)–खसरा नं. 1591 राजस्व रेकर्ड में गै.मु. खान के रूप में दर्ज है। इस कारण हल्का पटवारी

अपर कलक्टर, नागौर

अपर कलक्टर, नागौर (राजस्थान)

को उक्त भूमि बाबत 91 एलआरएक्ट के तहत कार्यवाही करने का कोई अधिकार नही है। बल्कि ऐसे अतिक्रमण बाबत खनन विभाग को ही कार्यवाही करने का ही अधिकार है अथवा खनन विभाग की शिकायत पर ही ऐसी कार्यवाही की जा सकती है। किन्तु फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर जो आदेश जैर अपील पारित किया है। वो निरस्तनीय है।

{3}– राजकीय अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान बताया गया कि अपीलांट द्वारा मौजा मुण्डवा में स्थित खनन भूमि पर अतिक्रमण किये जाने पर विधिवत प्रकरण दर्ज कर अपीलांट को नोटिस जारी किया गया। अपीलाधीन आदेश में अपीलान्ट को अतिक्रमी माना जाकर निर्णय जैर अपील पारित किया गया है, जो सही एवं उचित होने से यथावत कायम रखा जाना चाहिये।

{4}– उभयपक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया गया। पटवारी हल्का की अतिक्रमण रिपोर्ट में आराजी भूमि वाके मुण्डवा के खसरा नंबर 1591 रकबा 0.03 बीघा खनन भूमि पर अतिक्रमण किया जाना अभिलेख से पाया गया। आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलांट को विधिवत नोटिस दिया गया है। ऐसी स्थिति में आदेश जैर अपील विधिसम्मत होने से इसमें हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

{5}– उपरोक्त विवेचनात्मक विवेचन के आधार पर अपीलान्ट की अपील खारिज की जाती है। आदेश जैर अपील कायम रखा जाता है।

{6}– निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. नरेन्द्र कुमार थोरी)
अपर कलक्टर
नागौर

अपर कलक्टर, नागौर